न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 87 / 2019(2019 / 00332)

अनवान : —

श्रीकृष्ण जांगिड़ पुत्र नोरंगलाल जाति जांगिड़ निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— श्री महेन्द्र जांगिड़ —प्रार्थी
राजपैरोकार —राज0 सरकार

निर्णय दिनांक : 02/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 234 / 240 की कुल खसरा 3 की कुल 14.6700 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में जयप्रकाश के साथ प्रार्थी का 1 / 5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थी का सही नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ पुत्र नोरंगलाल के स्थान पर कृष्ण पुत्र नोरंगलाल दर्ज हो गया।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ की बजाऐ कृष्ण दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थी के पिता नोरंगलाल के कृष्ण नामक कोई लड़का नहीं है जबकि प्रार्थी के में प्रार्थी का नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में श्रीकृष्ण जांगिड़ की बजाऐ कृष्ण दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम कृष्ण पुत्र नोरंगलाल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ पुत्र नोरंगलाल दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:20 IST
Reason: Self Attested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ के स्थान पर कृष्ण दर्ज होने से प्रार्थी को अन्य सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम कृष्ण दर्ज होने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मोजा मलसीसर के खाता संख्या 234 / 240 में प्रार्थी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा -(जिला-हनुमानगढ़)

का नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

साक्ष्य प्रार्थी में प्रार्थी श्रीकृष्ण जांगिड़ पुत्र नोरंगलाल जाति जांगिड़ निवासी मलसीसर तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये जो रोही मोजा मलसीसर जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 234/240 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने ग्राम रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 234/240 की कुल खसरा 3 की कुल 14.6700 हैक्टेयर मुश्तर्का खाता में जयप्रकाश के साथ प्रार्थी का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का सही नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ के स्थान पर कृष्ण दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपना मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर प्रमाणित प्रति भामाशाह कार्ड, टी.सी. फॉर्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड व पैनकार्ड इत्यादि पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम श्रीकृष्ण जांगिड़ अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मोजा मलसीसर के खाता संख्या 234/240 में प्रार्थी का नाम **''कृष्ण के स्थान पर श्रीकृष्ण जांगिड़''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच कृष्ण पुत्र नोरंगलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए कृष्ण ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को लिख कर जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:20 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ